कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने के बारे में समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि मूल्य आयोग से आगामी चीनी मौसम के लिए अधिसूचित किए जाने वाले गन्ने के न्यनतम मूल्यों की सिफारिश करने के लिए अनुरोध करती है। आने वाले वर्ष के लिए भी कृषि मूल्य आयोग से अपनी सिफारिशें करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों/अन्य संस्थानों से अपने अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने और राज्य सरकारों आदि के विचारों पर विचार करने के बाद न्यूनतम मूल्य अधिसूचित किए जाएंगे।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय विभिन्न संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और इस में गन्ने के उत्पादन की लागत, उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों से प्राप्ति और कृषि जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उचित मूल्य पर उपभोक्ता को चीनी की उपलब्धता, चीनी उत्पादकों द्वारा जिस मूल्य पर गन्ने से उत्पादित चीनी बेची जाती है और गन्ने से चीनी की वसूली जैसे तथ्य शामिल होते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्कूलों को आवंटित भूमि

28. **श्री सत्य देव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत दो वर्षों में अनेक अनुदान तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों को घटी दरों पर भूमि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं और प्रत्येक स्कूल को कितनी-कितनी तथा किन-किन स्थानों पर भूमि आवंटित की गई तथा किन-किन तारीखों को आवंटित की गई ; और

(ग) क्या गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी घटी दरों पर भूमि आवंटित की गई थी और यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं, उन्हें कितनी भूमि आवंटित की गई तथा उक्त आवंटन के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल.टी.-296/77]।

(ग) ऐसे स्कूलों के नाम संलग्न सूची की क्रम संख्या 16-22 में दिए गए हैं। इन स्कूलों में से क्रम संख्या 16-19 के स्कूलों को एक लाख रुपया प्रति एकड़ की दर पर जमीन आवंटित की गई थी। क्रम संख्या 20-22 के स्कूलों को जमीन 5000 रुपया प्रति एकड़ की घटी दरों पर आवंटित की गई थी। विवरण में प्रत्येक स्कूल के सामने कारण दर्शाया गया है।

Vishwayatan Yogashram in New Delhi

29. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) terms and conditions on which land has been given to erstwhile Prime Minister Mrs. Indira Gandhi and her family's associate, Shri Dhirendra Brahmachary and this Organisation

Vishwayatan Yogashram on Ashoka Road, New Delhi; and

(b) the area thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY & REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No land has been allotted to Smt. Indira Gandhi erstwhile Prime Minister, in this area.

2. Sanction for allotment of land measuring 1.866 acres was accorded on the 25th August, 1969 for construction of Office, Library, Class-rooms and Yogic Therapeutic Research Laboratory and for *bona fide* residential purposes to the Vishwayatan Yogashram, of which Shri Dhirendra Brahamchari was a Managing Trustee, on the following terms and conditions:

(i) Rs. 5000/- per acre as premium plus 5 per cent thereof as annual ground rent for the land measuring 1.393 acres, which was to be utilised for office, library, class-rooms and yogic therapeutic research laboratory.

(ii) Rs. one lakh per acre as premium plus Rs. 1800/- per acre as annual ground rent for the remaining extent of land measuring 0.473 acre, which was to be utilised by them for their *bona fide* residential use.

(iii) The Vishwayatan Yogashram was also required to pay the depreciated cost of structures existing on the site, amounting to Rs. 62,674/- and these structures were to be demolished before the expiry of two years from 6th March, 1969. In the event of the structures not being demolished within the specified period, the Vishwayatan Yogashram was required to pay further sum of Rs.86,176/- payable in full on 6th September, 1971 towards the cost of structures, in addition to the aforesaid sum of Rs. 62,674/-. The monthly rent paid by the Yogashram for the chummeries at the rate of Rs. 2793/- upto the date of payment of Rs. 62,674/- was adjustable against the depreciated cost of Rs. 62,674/-.

(iv) The Yogashram was to complete the building on the site within four years from the date of handing over of possession, namely 6th March 1969, which was also the date of sale.

(v) The Yogashram was not permitted to sub-let any portion of the premises built on the leased land.

(vi) The Yogashram was also required to pay annual ground rent at the rate of on 5 per cent on the notional premium of Rs. 5000/- per acre in respect of land measuring 0.6 acre earlier allotted in Srinivaspuri upto the date the site was handed over to Government, *i.e.*, upto 27th October, 1969.

3. Sanction was accorded for allotment of an additional extent of land measuring 1053 sq. yds. in September, 1970 @ Rs. one lakh per acre as premium plus Rs. 1800/- per acre as annual ground rent, which was to be used by the Yogashram for the construction of a building for the Ashram together with the land already allotted for the same use and for no other purpose.

(b) : 2.084 acres.

मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाएं

30. श्री निर्मल चन्द्र जैन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तालाबों, नलकूपों के द्वारा छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के विस्तार करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश और विशेषकर जबलपुर और राज्य के सिवनी जिलों में ऐसी योजना के विस्तार